उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-116/2017/952/92-2-17-06जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 13 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय धनराशि रू0 10,000.00 से अधिक के कार्यादेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता कर शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-50/2016/1165/92-2-16-06(जांच)/2016, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री एस0के0 वर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जांच अधिकारी नामित कर शासन के पत्र संख्या-424/92-2-2017-06(जांच)/2016, दिनांक 03.04.2017 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री सन्त कुमार वर्मा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री सन्त कुमार वर्मा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.08.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-116/2017/952(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री एस0के0 वर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा (सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in